शुद्धिपत्र

संख्या-706/2026/1325(1)/26-27-सिं-9-165 एसएवी/26

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 2026**

विषय: जनपद बलरामपुर में राप्ती मुख्य नहर के किमी0 38.616 से किमी0 39.400 तक दांयी पटरी पर ब्रिक सोलिंग एवं किमी0 39.400 पर निर्मित स्केप हेड रेगुलेटर के डाउनस्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-678/2026/001/ 1325/26-27-सिं-9-165एसएवी/26, दिनांक 03.07.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में **जनपद बलरामपुर में राप्ती मुख्य नहर के किमी0 38.616 से किमी0 39.400 तक दांयी पटरी पर ब्रिक सोलिंग एवं किमी0 39.400 पर निर्मित स्केप हेड रेगुलेटर के डाउनस्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना** की अनुमोदित लागत रू0 73.95 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं अनु0 सं0-94 सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4700-17-051-10-14-24 के अन्तर्गत धनराशि रू0 59.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि में मुख्य अभियन्ता(सरयू परि0-प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या के स्थान पर त्रुटिवश मुख्य अभियन्ता(सरयू परि0-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा अंकित हो गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-678/2026/001/ 1325/26-27-सिं-9-165एसएवी/26, दिनांक 03.07.2026 की प्रतिलिपि में अंकित मुख्य अभियन्ता(सरयू परि0-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा के स्थान पर मुख्य अभियन्ता(सरयू परि0-प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या पढ़ा जाय।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता(सरयू परि0-प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in